संख्या 1586 / XII / 13 / 82(07) / 2010

प्रेषक,

कुणाल शर्मा
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज विभाग देहरादून, दिनांक 30 मई,2013

विषयः निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण मदों के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 हेतु प्राविधानित धनराशि आवंटन के संबधं मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–400 / पं0–2 / लेखा / प्रशिक्षण / 2013–14, दिनांक 29–05–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101– पंचायतीराज – 09– त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण–42–अन्य व्यय से रूपये 25 लाख (रूपये पचीस लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायतीराज–13–त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण – 42–अन्य व्यय से रूपये 25 लाख (रूपये पचीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि 50.00 लाख (कुल रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखते हुए व्यय करने की श्री राजयपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाएगा तथा संबंधित योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय।

3– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी / जारी होने वाले मितव्ययता संबंधी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।

4– धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

5– उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र–बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

6– विभागाध्यक्ष स्तर से अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या–183 / XXVII–1 / 2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर– जनरेट कर जारी किए जा रहे है। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284 / XXVII (1) / 2013, दिनांक 30 मार्च,2013 में दिये गये दिशा निर्देश के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुणाल शर्मा)
सचिव

संख्या 1586/XII /13/82(07)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2– आयुक्त, कुमायू/गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।

3– वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।

4– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड देहरादून।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एस0नपलच्याल)
अपर सचिव